न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

रसद आवेदन पत्र संख्या 66/2009

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये,
थानाधिकारी पुलिस थाना,
बालोतरा

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.गोमाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी पुलिस थाना सिणधरी
2.लिछमणाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी त्रिशुलिया पुलिस थाना बायतु
3.भुराराम पुत्र मल्लाराम जाति जाट निवासी टाकूबेरी हाल सिणधरी
4.मोतीराम पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी टाकूबेरी पुलिस थाना सिणधरी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

रसद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955

उपस्थितः–1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विष्णु चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं.01 से 03 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 04 एक तरफा।

निर्णय दिनांक 19..07.2017

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2009 को मुखबिर से मिली इतला अनुसार भुराराम पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी टाकूबेरी हाल सिणधरी अपने ट्रेंकर वाहन संख्या आरजे 04 जीए 1364 से राशन का नीला केरोसीन मे केमिकल डालकर केरोसीन का रंग बदल कर सिणधरी व सरहदी गांवो में कृषि कुओं पर गांव की जनता को डीजल बताकर सप्लाई करता है। टैकर में नीला मिश्रित केरोसीन भरकर मेघा हाइवे से सिणधरी की तरफ जायेगा, नाकाबन्दी की जावे तो टैकर केरोसीन से भरा पकड़ा जा सकता है।इस पर प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा मय पुलिस जाब्ता के दौराने नाकाबन्दी मेगा हाईवे पचपदरा की ओर से टैंकर वाहन संख्या आरजे 04 जीए 1364 आता दिखाई दिया, जिसको बावर्दी इशारा देकर रूकवाया गया। टैंकर पर ड्राईविंग कर रहे चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गोमाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी,खलासी ने अपना नाम लिछमणाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी त्रिशुलिया होना बताया। टैकर के कम्पार्ट चैक करने पर पॉच कम्पार्ट ढक्कन युक्त मिले। कम्पार्ट संख्या 02 में नीला पीला मिश्रित केरोसीन पाया गया जिसको

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गेज से नापने पर 3800 लीटर केरोसीन पाया गया,बाकी चार कम्पार्ट खाली पाये गये। वाहन चालक गोमाराम व खलासी लिछमणाराम को नीला पीला केरोसीन कब्जा में रखने व परिवहन करने बाबत परमिट/लाइसेंस का पूछा गया तो कोई बिल परमिट व लाइसेंस नहीं होना बताया। इस पर प्रार्थी ने 3800 लीटर नीला पीला केरोसीन एंव वाहन टैंकर संख्या आरजे 04 जीए 1364 बरामद कर इसका निस्तारण करने हेतु यह आवेदन पत्र धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव बरामद केरोसीन का अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु चौधरी उपस्थित हुए। जिन्होंने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर प्रकरण में अन्तिम प्रतिवेदन देने, जब्त सुदा केरोसीन एंव वाहन को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा द्वारा सुपुर्दगीनामा पर देने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम का खंारिज करने का निवेदन किया।अप्रार्थी संख्या 04 बाजवूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा,फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक प्रथम,बाड़मेर का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा नीले रंग के केरोसीन में केमिकल डालकर केरोसीन का रंग बदलकर कालाबाजारी में बेचने की नीयत से अवैध रूप से वाहन टैंकर मे परिवहन किया जा रहा था। वक्त बरामदगी अप्रार्थीगण के पास केरोसीन रखने एंव परिवहन करने का कोई वैध लाइसेंस एंव परमिट नहीं पाया गया। उन्होने तर्क दिया कि वाहन एंव जब्तसुदा माल को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक न्यायाधीश बालोतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 गोमाराम पुत्र शेराराम एंव अप्रार्थी संख्या 04 मोतीराम पुत्र मानाराम को आदेश दिनांक 08.12.2009 द्वारा सुर्पुदगीनामा पर सुपुर्द किये गये है। इसलिये इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

4. अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थीगण से बरामद केरोसीन का दौराने अनुसंधान प्रार्थी द्वारा एफ.एस.एल.रिपोर्ट के आधार पर नीला केरोसीन न होना पाये जाने के उपरान्त प्रकरण में अन्तिम प्रतिवेदन एफ.आर.दी गई है। बरामद वाहन एंव जब्तसुदा माल को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बालोतरा द्वारा सुर्पुदगीनामा पर निष्पादन करने के आदेश पारित किये जा चुके है। इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही खारिज फरमायी जाए।

5. हमने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से दिनांक 23.10.2009 को 3800 लीटर केरोसीन वाहन संख्या आरजे 04 जीए 1364 से परिवहन करते हुए बरामद किया गया है। इसका निस्तारण करने हेतु प्रार्थी ने

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 08.12.2009 का अवलोकन किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा ने फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 429/2009 राजस्थान राज्य बनाम गोमाराम एंव फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 430/2009 राजस्थान राज्य बनाम मोतीराम में न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.12.2009 द्वारा प्रकरण में पुलिस द्वारा एफ.आर. देने और मुलजिम से जब्त तरल पदार्थ को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय कृत्य नहीं मानते हुए बरामद वाहन संख्या आरजे 04 जीए 1364 को अप्रार्थी अप्रार्थी भूराराम पुत्र मलाराम के मुख्तयारखास अप्रार्थी संख्या 01 गोमाराम पुत्र शेराराम एंव जब्त सुदा माल को अप्रार्थी संख्या 04 मोतीराम पुत्र मलाराम को सुर्पुदगीनामा पर सुर्पुद करने के आदेश पारित किये गये है। अतः बरामद वाहन एंव माल को सुर्पुदगीनामा पर सुपुर्द करने के आदेश पारित होने से अब इस स्तर पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 19.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner